न्यूज डायरी

कार बनी आग का गोला

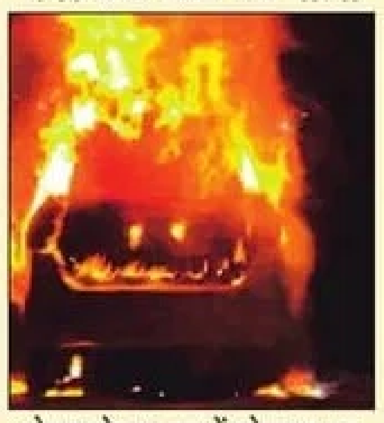

नोएडा सेक्टर-99 में सोमवार रात चलती कार में आग लग गई। चालक संदीप ने समय रहते वाहन से बाहर कूदकर जान बचाई। संवाद

5,145 करोड़ का निवेश सीएम करेंगे शिलान्यास

ग्रेटर नोएडा। यमुना सिटी में ट्रैक्टर निर्माण और ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए हार्नेस वायर बनाने के दो प्लांट का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इन दोनों प्लांट में करीब 5145 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। पहले मुख्यमंत्री को यमुना सिटी आना था। अफसरों के मुताबिक अब कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री इन शिलान्यास को सुबह नौ बजे वर्चुअल जुड़कर करेंगे। ब्यूरो

वंदे मातरम् : सोनिया के खिलाफ कोर्ट में अर्जी

गाजियाबाद। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ वंदे मातरम् के गायन में कथित तौर पर बाधा डालने के आरोप में गाजियाबाद की एसीजेएम-द्वितीय एमपी/एमएलए अदालत में आपराधिक शिकायत दाखिल की गई है। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख आठ सितंबर दी है। शिकायत हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दाखिल की गई है। इसमें 15 अगस्त 2026 को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के गायन को बाधित करने का आरोप लगाया है। संवाद

करोड़ों खर्च... पर न दिल्ली की हवा सुधर रही...न यमुना की सेहत, संसदीय समिति ने जताई चिंता

हिमांशु अरविंद मिश्र

नई दिल्ली। संसद की स्थायी समिति ने करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद दिल्ली की हवा और यमुना की सेहत में सुधार नहीं होने पर गंभीर चिंता जताई है। समिति ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली का नाम दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में दर्ज है।

समिति ने वैज्ञानिक संस्थानों से पूछा कि आखिर उनकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल हवा और पानी के प्रदूषण से निपटने में क्यों नहीं किया जा रहा है। राज्यसभा की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी विभागीय स्थायी समिति ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की दो प्रयोगशालाओं के कामकाज की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट में ये बातें कही हैं। इन संस्थानों में केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चंडीगढ़ और जीनोमिक्स एवं समेकित जीव विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली शामिल थे।

वैज्ञानिक बोले, तकनीक पर चल रहा काम : केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन ने बताया कि पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए कई तकनीकों पर काम चल रहा है। संस्थान ने गैस निगरानी प्रणाली विकसित की है। इससे मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों की निगरानी की जा सकती है। इसके अलावा चेन्नई स्थित केंद्र ने दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव पर दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय की प्रतिक्रिया का इंतजार है।

फाइल फोटो

धूल रोकने की तकनीक तैयार : संस्थान ने समिति को यह भी बताया है कि उसने धूल को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोस्टेटिक छिड़काव तकनीक विकसित की है। इसमें बहुत छोटे पानी के कणों पर विद्युत आवेश दिया जाता है। ये कण धूल के कणों के संपर्क में आकर उन्हें दबाने में मदद करते हैं। संस्थान के अनुसार यह तकनीक खास तौर पर ऐसी बारीक धूल के कण को नियंत्रित करने में उपयोगी है जो सांस के साथ शरीर के भीतर जा सकते हैं।

यमुना के लिए बनेगा केंद्रीय आंकड़ा केंद्र

यमुना को लेकर भी संस्थान ने अहम योजना बताई है। जेएएल-आईओटी प्रणाली और दूसरे सेंसरों की मदद से यमुना के पानी की गुणवत्ता की लगातार निगरानी के लिए परीक्षण परियोजना तैयार करने का प्रस्ताव है। इसमें पानी की गुणवत्ता के कई मानकों की जांच, आंकड़ों को इंटरनेट के जरिये दर्ज करना और अधिकारियों के लिए केंद्रीय आंकड़ा केंद्र बनाने की योजना है। इसका उद्देश्य सिर्फ यमुना के प्रदूषण के आंकड़े जुटाना नहीं है। योजना में इन आंकड़ों को प्रदूषित हिस्सों की सफाई की कार्रवाई से जोड़ने की बात भी कही गई है। समिति ने जीनोमिक्स एवं समेकित जीव विज्ञान संस्थान से अहम सिफारिशें की हैं। ऐसे वैज्ञानिक तरीके से तैयार किए गए सूक्ष्मजीवों की पहचान और उनके गुणों का अध्ययन करने को कहा है, जो यमुना में मौजूद सीवेज, औद्योगिक गंदे पानी और दूसरे प्रदूषकों को तोड़ने में सक्षम हों।

निवेश के लिए जुटाए डेढ़ करोड़ चोरी फर्म संचालक के छह साथी गिरफ्तार

नोएडा : रकम बांटने जुटे थे आरोपी, 1.48 करोड़ रुपये व कार बरामद

अमर उजाला ब्यूरो

नोएडा। सीए फर्म से जुड़े काम के नाम पर निवेश के लिए जुटाई गई करीब डेढ़ करोड़ रुपये की रकम फर्म संचालक के साथियों ने चोरी कर ली। सेक्टर-25 स्थित एक गैराज में रखी नकदी पर की चोरी का कोतवाली सेक्टर-20 पुलिस ने मंगलवार को पर्दाफाश करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 1.48 करोड़ रुपये नकद और वारदात में इस्तेमाल कार बरामद की है। चोरी के बाद आरोपी रकम को आपस में बांटने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई और सभी पकड़ लिए गए। डीसीपी नोएडा साद मियां खान ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में अवनीश कुमार, पवन उर्फ शिवम उर्फ कांचा, जितेंद्र कुमार, सुमित कुमार, अनिल कुमार व नीशू चौहान शामिल हैं। अवनीश इस मामले का मुख्य आरोपी है।

आरोपियों से बरामद रकम। संवाद

पूरे कारोबार की जांच

पूरे कारोबार की भी पड़ताल कर रही है, जिसके नाम पर रकम जुटाई गई थी। पुलिस यह पता कर रही है कि आशीष और उसके साथी निवेश के नाम पर अब तक कितने लोगों से रकम ले चुके हैं। पुलिस को यह भी पता लगाना है कि निवेश से जुड़े इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

रकम बाजार में लगाने और मुनाफा देने का दावा

आरोपी निवेश के नाम पर लोगों से रकम लेकर उसे बाजार में लगाने और मुनाफा देने का दावा करते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने आशीष को करीब डेढ़ करोड़ रुपये निवेश के लिए दिए थे। आशीष ने रकम को अपने घर के गैराज में सुरक्षित रख दिया। निवेश के बदले एक साल में रकम को डेढ़ से दो गुना करने और हर महीने अच्छा मुनाफा देने की बात कही गई थी।

- गैराज में इतनी बड़ी रकम रखे होने की जानकारी आशीष के साथ काम करने वाले अवनीश, आदर्श और भरत को भी थी। अवनीश ने भी आशीष को करीब 46 लाख रुपये निवेश के लिए दिए थे। उसे अपेक्षित मुनाफा नहीं मिल रहा था। इसके चलते वह परेशान था। गैराज में डेढ़ करोड़ रुपये रखे होने की जानकारी मिलने के बाद उसने रकम हड़पने की योजना बनाई।
- पुलिस के अनुसार अवनीश ने अपने पांच साथियों और रिश्तेदारों को योजना में शामिल किया। इसके बाद सभी ने मिलकर चोरी की साजिश तैयार की। आरोपियों ने 11 अगस्त को मौका देखकर सेक्टर-25 स्थित गैराज से पूरी रकम चोरी कर ली। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से लेकर आरोपियों के संभावित रास्तों तक लगे 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली।

मल्टीनेशनल कंपनियों में निवेश का झांसा देकर 11 करोड़ की ठगी

गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित वीवीआईपी एड्रेसेस सोसायटी में रहने वाले संदीप गोयल से मल्टीनेशनल कंपनियों और अलग-अलग कारोबार में निवेश के नाम पर 10-11 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि 40 से 50 प्रतिशत तक मुनाफे का झांसा देकर चार आरोपियों ने करीब चार वर्षों तक उनसे रकम निवेश कराई। रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित की तहरीर पर नंदग्राम थाना पुलिस ने दो महिलाओं समेत चार आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शुरुआत में 10-20 लाख रुपये का लेनदेन : एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि संदीप गोयल के मुताबिक नोएडा सेक्टर-22 निवासी रवि राणा ने उनकी मुलाकात कुछ बड़े व्यापारियों से कराई थी। इन लोगों ने व्यापार में निवेश करने पर अच्छे मुनाफे का भरोसा दिया। शुरुआत में 10-20 लाख रुपये का लेनदेन समय पर किया गया, जिससे पीड़ित को आरोपियों पर भरोसा हो गया। इसके बाद रवि राणा ने संदीप की मुलाकात हरियाणा के सोनीपत स्थित सनशाइन काउंटी निवासी रेनू चौहान से कराई। रेनू ने खुद को एमबे कंपनी में कार्यरत बताया। आरोप है कि उसने ओक्टा फॉरेक्स और मल्टी लेवल मार्केटिंग समेत विभिन्न कारोबार में निवेश कराने के लिए 40-50 प्रतिशत तक मुनाफे का लालच दिया। संवाद

सार्वजनिक खरीद से जुड़ी निविदा प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहीं : सुप्रीम कोर्ट

कहा, देरी को सिर्फ दिनों से नहीं बल्कि प्रक्रिया की प्रगति से आंकना होगा

राजीव सिन्हा

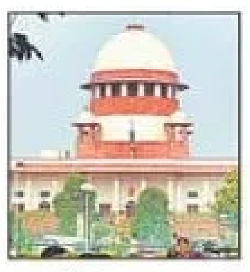

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दो टूक कहा है कि सार्वजनिक खरीद से जुड़े टेंडर को अंतिम चरण में पहुंचने के बाद चुनौती देना स्वीकार नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा है कि ऐसे मामलों में देरी को केवल कैलेंडर के दिनों से नहीं आंका जा सकता।

यह देखना जरूरी है कि टेंडर प्रक्रिया कितनी आगे बढ़ चुकी है, किन पक्षों के अधिकार और हित विकसित हो चुके हैं तथा प्रक्रिया में हस्तक्षेप से जनहित पर क्या असर पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायिक विवेक का इस्तेमाल बेहद सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि अंतिम चरण में पहुंची निविदा प्रक्रिया को फेंस-सिटर्स, प्रॉक्सी या अनुचित मुकदमेबाजी के जरिए बाधित न किया जा सके। जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ ने ये टिप्पणी करते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा सरकारी स्कूलों और खेल केंद्रों के लिए खेल सामग्री एवं आउटडोर जिम उपकरण खरीदने के टेंडर से जुड़ी अपीलें खारिज कर दीं। पीठ ने कहा कि छह स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टेंडर 22 दिसंबर 2025 को जारी हुए थे जबकि याचिकाकर्ताओं ने 1 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट का रुख किया। तब तक एक टेंडर का आवंटन हो चुका था और बाकी टेंडर तकनीकी मूल्यांकन के दूसरे चरण में पहुंच चुके थे।

लाल किला धमाके में जसीर बिलाल वानी की याचिका खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2025 के लाल किला आतंकी हमले के मामले में आरोपी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश (20) की डिफॉल्ट जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह व न्यायमूर्ति विकास महाजन की डिवीजन बेंच ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर उसकी अपील भी खारिज कर दी।

डिफॉल्ट जमानत उस स्थिति में मिलती है, जब जांच एजेंसी निर्धारित अवधि में चार्जशीट दाखिल नहीं करती। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग निवासी वानी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 10 नवंबर 2025 को लाल किला क्षेत्र में हुए कार धमाके का सक्रिय सह-षड्यंत्रकारी बताया है। ब्यूरो

हापुड़ : गवाही देने जा रहे किसान की लाठी-डंडों व हथौड़े से हत्या

कार सवार हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम, तलाश

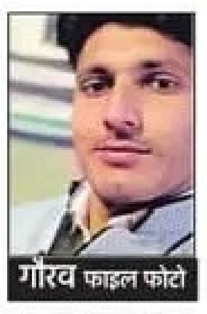

गौरव फाइल फोटो

हापुड़। गांव मोहम्मदपुर आजमपुर निवासी किसान गौरव त्यागी (34) को ददायरा चौराहे से धनौरा जाने वाले रास्ते पर मंगलवार की सुबह कार सवार चार हमलावरों ने पहले लाठी- डंडों व हथौड़े से बेरहमी से पीटा और फिर कार से बुरी तरह कई बार रौंदा।

मेरठ के अस्पताल में उनको मृत घोषित कर दिया। गौरव जमीन के विवाद में पहले किए गए जानलेवा हमले में हापुड़ कचहरी में गवाही देने के लिए जा रहे थे। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिसबल तैनात किया है। पुलिस की तीन टीमें हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं। पुलिस के अनुसार गांव मोहम्मदपुर आजमपुर में जमीन के विवाद में वर्ष 2021 में जानलेवा हमला किया गया था। हमले के मामले में गौरव की मंगलवार को गवाही होनी थी। इसी मामले में जमानत पर आए आरोपियों ने कार से पीछा करते हुए दायरा चौराहे से गांव धनौरा जाने वाले रास्ते पर जा रहे गौरव की बाइक में आरोपियों ने पीछे से टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया बेरहमी से पीटा। आरोपियों ने घायल गौरव को कार के नीचे कई बार रौंदा। गौरव को मरणासन्न हालत में छोड़ कार सवार होकर हमलावर भाग गए। संवाद

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER PUBLIC WORKS DEPARTMENT, E/M CIRCLE, RAIPUR (C.G.)

e-Procurement Tender Notice

Online tenders are invited on behalf of Governor of Chhattisgarh from contractors, C.G. P.W in new Registration system (unified Registration system) for the following work :-

NIT No.	Name of work	Probable amount of contract
62/SE E/M/2026-27 (I Call) System Tender No 197262 Registered contractor class in "D" & above For Form A (Percentage rate)	Proposed Utility Shifting of 4 Pole Structure, Transformer, 33 KV Line, 11 KV Line & LT Line due to road widening works under PWD E&M Sub Division - Nava Raipur, Distt - Raipur (C.G.)	Rs 80.00 Lacs
63/SE E/M/2026-27 (I Call) System Tender No197326 Registered contractor class in "D" & above For Form A (Percentage rate)	SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF ROAD LIGHTING AND HIGH MAST LIGHTS ON PROPOSED GAURAV PATH ON OLD NATIONAL HIGHWAY AT ABHANPUR, DISTRICT- RAIPUR (C.G.) (LENGTH-2.60 KM)	Rs 63.00 Lacs
65/SE E/M/2026-27 (I Call) System Tender No 197352 Registered contractor class in "C" & above For Form B (Item rate)	Providing Electrification and Supplying, Installation, Testing and Commissioning of Pump for Fire fighting Work at 4 Nos. UTDs and 3 Nos. D.G. Set for UTD 2, 3 & 4 at CSVTU Bhilai Distt.-Durg (C.G.)	Rs 157.18 Lacs
66/SE E/M/2026-27 (I Call) System Tender No 197364 Registered contractor class in "D" & above For Form B (Item rate)	Providing Electrification and Supplying, Installation, Testing and Commissioning of 13 Passenger Lift for 4 Nos. UTDs at CSVTU Bhilai Distt.-Durg (C.G.)	Rs 69.19 Lacs

Date of bid submission 02-09-2026 The tender documents can be downloaded from the web-portal http://eproc.cgstate.gov.in. Only those contractors/bidders, interested in bidding shall pay the tender document cost online.

Superintending Engineer
P. W D. (E & M) Circle
Raipur (C. G.

G-262702804/9

प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बुलन्दशहर

पत्रांक : 734/22-1, दिनांक, बुलन्दशहर, 18/08/2026

नीलाम सूचना

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि सामाजिक वानिकी प्रभाग बुलन्दशहर की वर्ष 2026-27 की गौण उपज (बीड़ पूला) की लाटो का नीलाम दिनांक 24.08.2026 को प्रातः 11:00 बजे प्रभागीय कार्यालय, बुलन्दशहर में किया जायेगा । इच्छुक क्रेता निर्धारित तिथि/समय से उपस्थित होकर लाटो की खरीद हेतु बोली दे सकते है विस्तृत जानकारी के लिए प्रभागीय कार्यालय, बुलन्दशहर में सम्पर्क करे।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बुलन्दशहर ।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT INVITATION FOR BIDS (IFB)

The Executive Engineer HP.PWD., Division Nadaun District Hamirpur H.P on behalf of Governor of H.P invites the Percentage rate bids, in electronic tendering system from the eligible class for the works as detailed below on the table below:-

Sr. No : 1 Name of Work : Construction of Primary Health Centre Level-II Building at Karsai Tehsil Nadaun District Hamripur (HP) (SH:- C/O Building Portion i/c water supply and sanitary installation, septic tank, Rain water Harvesting Tank, & Site Development etc.)
Time Limit:- One Month **Cost of tender Form:** 350/-
Estimated cost (Rs.) : 1,30,41,639/-
Starting Date for downloding Bid : 21-08-2026 from 10:30 AM
EMD (Rs.) : 2,60,900/-
Deadline for Submission of Bid : 28-08-2026 upto 10:30 AM
The bidders are advised to note other details of tenders from the department website.

HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

Executive Engineer,
Nadaun Division,
HPPWD, Nadaun. Pin Code 177033
Telephone No. 01972-298570
e-mail: ee-pwdndn-hp@hp.gov.in
On behalf of Governor of Hima,chal pradesh.

Ro-2711/26-27

Office of the Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Loni

Address :- Khanna Nagar, Loni, Ghaziabad

Letter No. 1081 / N.P.P.Loni/E-Tender/2026-27 Dated : 17-08-2026

e-Procurement Notice

ई-निविदा

नगर पालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद में "स्वच्छ भारत मिशन / रा. वि. आ. / निकाय कोष" के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से निर्माण/विकास कार्य हेतु ई-निविदा प्रणाली के अर्न्तगत अनुभवी ठेकेदारो / फर्मो से उनकी तकनीकी एवं वित्तीय बिड (Technical And Financial Bid) आधारित ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है, निविदा का विस्तृत विबरण टेण्डर प्रपत्र शर्ते आदि उत्तर प्रदेश की ई- प्रिक्योरमेन्ट की वेबसाईट https://etender.up.nic.in से प्राप्त किये जा सकते है। ई-निविदा की समस्त कार्यवाही उक्त वेबसाईट के माध्यम से ही पूर्ण की जायेगी, निविदा की सूचना नगर पालिका परिषद्, लोनी, गाजियाबाद की वेबसाईट www.npploni.in पर भी देखी जा सकती है।

ई-निविदा समय सारणी (www.etender.up.nic.in पर)

Tender Reference

Public and Time for Ref.	18/08/2026 at 10:00 Am
Last Date Time for Submission of Tender	25/08/2026 till 05:00 Pm
Date and Time for Opening of E-Tender	25/08/2026 at 05:30 Pm

(वैभव त्रिपाठी)
अधिशासी अधिकारी (श्रेणी-1)
नगर पालिका परिषद लोनी
(गाजियाबाद)

(रंजीता धामा)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, लोनी
(गाजियाबाद)

कार्यालय पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय सोनीपत।

DDNO.38 दिनांक 01.08.2026 धारा 194 बी.एन.एस.एस. थाना सैक्टर-27 जिला सोनीपत ।

लाश की पहचान

नाम- नामपता नामालूम।
पिता का नाम- नामालूम।
पता-नामालूम।
उम्र-50-55 वर्ष करीब।
कद-5 फुट।
हुलिया: खोपड़ी गली सड़ी अवस्था में व पेट की आते कीड़ो द्वारा खाय़ी हुई थी।
पहनावा: - आसमानी रंग का धारीदार कुर्ता व नीले रंग की सलवार पहने है।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 01.08.2026 को एक नामपता नामालुम महिला की लाश बहालगढ रोड रिर्जव वैली पार्क सोनीपत गुलिया पेट्रोल पंप के पीछे गली सड़ी अवस्था मे मिली है। लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी है। लाश को शिनाख्त के लिए सिविल अस्पताल सोनीपत की मोर्चरी में 72 घटें के लिए रखवाया गया है। अगर किसी को उपरोक्त लाश के बारे कोई सुराग मिले तो निम्नलिखित नम्बरो पर सूचित करे।

प्रबन्धक थाना मो.न.-7419410535
अनुसंधान कर्ता मो.न. - 9416540350
पुलिस कन्ट्रोल रुम सोनीपत - 0130-2222903

अपराध अभिलेख अधिकारी,
कृते पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, सोनीपत ।

PRDH:-1084/11/5200/2027/48319/1/7 DT.18/08/2026

पंजाब नैशनल बैंक ......भरोसे का प्रतीक
punjab national bank ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन शाखा (एआरएमबी),
बुलंदशहर (डी. नं. 821200)
पीएनबी हाऊस, यमुनापुरम, बुलंदशहर-203001 | ईमेल : CS8212@pnb.bank.in

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 8(6) व नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज अधिनियम 2002 की वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रवर्तन के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा जन साधारण एवं विशेषतः ऋणकर्ता(ओं) व गारंटरों(ओं) व रेहनकर्ताओं को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूतित ऋणदाता के पास रेहन रखी गई/प्रभारित निम्न उल्लेखित अचल संपति, जिसका सांकेतिक/ भौतिक कब्जा इस बैंक/प्रत्याभूतित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, इसे संबंधित ऋणकर्ताओं व गारंटरों रेहनकर्ताओं से बैंक/प्रत्याभूतित ऋणदाता की बकाया देय राशि की वसूली के लिए यहां निम्न उल्लेखित तालिका में उल्लेखितानुसार तिथि को **''जैसे हैं जहाँ है आधार, जैसे है जो है तथा जो कुछ वहां है के आधार पर''** बेचा जाऐगा। आरक्षित मूल्य व धरोहर राशि जमा संबंधित संपतियों के प्रति निम्न तालिका में उल्लेखितानुसार है।

प्रत्याभूतित परिसंपतियों की अनुसूची

लॉट नं.	शाखा का नाम एकाऊंट का नाम ऋणकर्ता/रेहनकर्ताओं/ गारंटरों खाता का नाम एवं पता	अचल संपत्तियों का ब्यौरा	ए) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि बी) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि सी) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा तिथि डी) कब्जे का प्रकार सांकेतिक/भौतिक/ निर्माणात्मक	ए)आरक्षित मूल्य राशि रू. में बी) ईएमडी(अंतिम तिथि व समय) सी)बोली वृद्धि राशि डी) बैंकनेट संपत्ति आईडी	ई-नीलामी की तिथि/समय	प्रत्याभूतित ऋणदाताओं को ज्ञात ऋणभार की जानकारी
1.	**शाखा : खुर्जा मेन (026700)/एआरएमबी बुलन्दशहर** खाताः मैसर्स अल जैद ट्रेडर्स, प्रो. श्री. राशिद खान, ऋण सुविधा खाता सं. 026700IB00003304 एवं 0267008700008578 **ऋणकर्ता/गारंटर/रेहनकर्ता का ब्यौरा :** 1. **मैसर्स अल जैद ट्रेडर्स, प्रो. श्री. राशिद खान** (ऋणकर्ता) पता : नवरंग पॉटरी के सामने, मुंडाखेड़ा रोड, खुर्जा - 203131. **श्री राशिद खान पुत्र श्री नबाब खान** (ऋणकर्ता/रेहनकर्ता) पताः 75, मदार दरवाजा, खुर्जा, जिला. बुलन्दशहर-203131. **श्रीमती सावरा पत्नी श्री नबाब खान** (गारंटर/रेहनकर्ता) पताः 75, मदार दरवाजा, खुर्जा, जिला. बुलन्दशहर-203131. **श्रीमती हज्जन यासमीन**(गारंटर/रेहनकर्ता) पताः 75, मदार दरवाजा, खुर्जा, जिला. बुलन्दशहर-203131.	उप रजिस्ट्रार खुर्जा के कार्यालय में बही सं.-1, जिल्द 6948, पेज 23/43 क्रम सं. 5591, दिनांक 30.04.2013 में पंजीकृत श्री राशिद खान उर्फ मोहम्मद राशिद पुत्र श्री नवाब खान के नाम पर गांव : हजरत पुर, परगना व तहसील : खुर्जा, जिला बुलंदशहर में स्थित आवासीय प्लॉट, गता न. 68/2 का भाग, एरिया माप 124.97 वर्ग मी.। सीमाएं : पूर्व-खेत विक्रेता प्रथम पार्टी, पश्चिम-डॉ. सिंघल का प्लॉट, उत्तर-खेत कुंवरपाल, दक्षिण-रास्ता कच्चा 25 फुट चौड़ा।	A) 04.01.2022 B) Rs. 49,75,591.32 (उनचास लाख पचहत्तर हजार पांच सौ इक्यानवे रुपये और बत्तीस पैसे मात्र) 30.11.2021 तक प्लस 01.12.2021 से भावी ब्याज + अन्य लागतें व खर्चे। D) 05.05.2022 E) सांकेतिक कब्जा	A) Rs. 26.10 Lakh B) Rs. 2.61 Lakh (01/09/2026 / Upto 05.00P.M.) C) Rs. 0.25 Lakh D) PUNBKHURJAMAIN31	**02/09/2026** पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 04.00 बजे	प्रत्याभूतित ऋणदाता को ज्ञात नहीं
		पंजीकृत बिक्री बही क्रमांक 1, जिला क्रमांक 3771, पृष्ठ क्रमांक 307-332, क्रमांक 1696 के तहत दिनांक 22/02/2008 को एसआरओ खुर्जा द्वारा श्रीमती सावरा बेगम पत्नी श्री नवाब खान के नाम पर मोहल्ला मदार दरवाजा, कस्बा, तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर में स्थित एक आवासीय मकान, नगर पालिका क्रमांक 103 (पुराना) और 113 (नया), कुल क्षेत्रफल 156.24 वर्ग मीटर। **सीमाएँ सेल डीड के अनुसारः** पूर्व - गली मुश्तरका 8 फुट चौड़ी; पश्चिम - फैयाज खान का मकान; उत्तर - हाजी चमन का मकान; दक्षिण - गली मुश्तरका 8 फुट चौड़ी।	A) 04.01.2022 B) Rs. 49,75,591.32 (उनचास लाख पचहत्तर हजार पांच सौ इक्यानवे रुपये और बत्तीस पैसे मात्र) 30.11.2021 तक प्लस 01.12.2021 से भावी ब्याज + अन्य लागतें व खर्चे। C) 05.05.2022 D) सांकेतिक कब्जा	A) Rs. 40.63 Lakh B) Rs. 4.06 Lakh (01/09/2026 / Upto 05.00 P.M.) C) Rs. 0.25 Lakh D) PUNBKHURJAMAIN3101	**02/09/2026** पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 04.00 बजे	प्रत्याभूतित ऋणदाता को ज्ञात नहीं
		एसआरओ खुर्जा के पास पंजीकृत सेल डीड बही सं.-1, जिल्द 7268, पेज न.287-312, क्रम सं. 14818, दिनांक 23.11.2013 द्वारा श्रीमती हज्जान यासमीन उर्फ हज्जान यासमीन बेगम पत्नी श्री हाजी मोहम्मद राशिद उर्फ राशिद खान के नाम पर मोहल्ला मादर दरवाजा कस्बाः खुर्जा, परगना व तहसील : खुर्जा, जिला : बुलंदशहर में स्थित दो मंजिला आवासीय मकान पुराना न.74 तथा नया न. 78 माप : 38.47 वर्ग मी.। सीमाएं निम्नानुसार : पूर्व-मुख्तियार का मकान, पश्चिम-गली 1.48 मी. चौड़ी, उत्तर-गली 1.58 मी. चौड़ी, दक्षिण-भूरा का मकान।	A) 04.01.2022 B) Rs. 49,75,591.32 (उनचास लाख पचहत्तर हजार पांच सौ इक्यानवे रुपये और बत्तीस पैसे मात्र) 30.11.2021 तक प्लस 01.12.2021 से भावी ब्याज + अन्य लागतें व खर्चे। C) 05.05.2022 D) सांकेतिक कब्जा	A) Rs. 12.55 Lakh B) Rs. 1.26 Lakh (01/09/2026 / Upto 05.00 P.M.) C) Rs. 0.25Lakh D) PUNBKHURJAMAIN3102	**02/09/2026** पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 04.00 बजे	प्रत्याभूतित ऋणदाता को ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें :- 1. सम्पत्तियों की बिक्री **''जैसे हैं जहाँ है आधार, जैसे है जो है तथा जो कुछ वहां है के आधार पर''** पर की जाएगी। 2. उपरोक्त निर्दिष्ट अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार वर्णित किया गया है, परन्तु प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत कथन या विलोपन हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। 3. यह बिक्री प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और निम्न अतिरिक्त शर्तों के तहत होगी। यह नीलामी बिक्री पोर्टल **https://Baanknet.com.**पर **''ई-नीलामी के द्वारा ऑनलाईन''** की जाएगी। 4. बिक्री की सामान्य शर्तों व नियमों वाली बिक्री सूचना निम्न वेबसाईटों **(1) https://Baanknet.com (2) www.pnb.bank.in.**पर उपलब्ध/प्रकाशित की गई है। 5. ईच्छुक बोलीदार/खरीददार को **https://Baanknet.com,**पर पंजीकृत करना आवश्यक होगा, ई-केवाईसी को पूरा करें, ई-वॉलेट में ईएमडी जमा करें और नीलामी की तिथि व समय से पूर्व संबंधित संपति के साथ वालेट राशि लिंक करनी होगी। अहार्य ईएमडी जमा न करवाने वाले बोलीदारों को ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 6. सफल बोलीदार को उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस पर ईएमडी समायोजित करने के बाद बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी और शेष 75 प्रतिशत राशि को नीलामी की तिथि से 15 दिन के भीतर जमा करवाना होगा, अन्यथा जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा और संपति को पुनः-नीलाम किया जा सकता है। 7. सभी संवैधानिक देय राशि/अटेंडेंट प्रभार/पंजीकरण प्रभार/स्टांप डयूटी/कर /टीडीएस और अन्य देय राशि का वहन करना होगा। प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बतलाए किसी भी बोली को स्वीकृत/निरस्त करने अथवा नीलामी को स्थगन/निलंबन/एडजर्न करने के सभी अधिकार है।

सरफेसी एक्ट 2002 के नियम 8(6) के तहत संवैधानिक बिक्री सूचना

दिनांक : 18.08.2026, स्थान : बुलंदशहर

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक